

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या-791/53-1-2018-1(विविध)/2018
लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास करने, दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मेक इन यू0पी0 को प्रोत्साहन, नये रोजगार सृजन, अनुसन्धान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन तथा समस्त स्टेक होल्डर्स (हितधारक) को अधिकाधिक लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक-07.06.2018 द्वारा "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" प्रख्यापित की गयी है।

2- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पूँजी निवेश के प्रस्तावों का कार्यान्वयन एवं उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के बिन्दु संख्या-10(2) में की गयी व्यवस्थानुसार समितियों द्वारा संस्तुति आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत एवं धनावंटन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति, मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति, जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा तकनीकी एवं वित्तीय समिति का गठन किया जाता है:-

(1) राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति-

1	प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0/सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद	सदस्य
3	प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ,	सदस्य
4	विशेष सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	विशेष सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	विशेष सचिव, नियोजन विभाग।	सदस्य
9	अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास/विशेष सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद	सदस्य-सचिव

(2) मण्डल स्तरीय क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी	सदस्य
3	मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	उप निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग	सदस्य
5	सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग	सदस्य
6	अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग।	सदस्य
7	मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी,	सदस्य-सचिव

(3) जनपद स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन समिति:

1	जिलाधिकारी	
2	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
3	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
4	अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	सदस्य
5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
7	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी,	सदस्य
		सदस्य-सचिव

(4) तकनीकी एवं वित्तीय समिति

1	अपर दुग्ध आयुक्त/विशेष सचिव, उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद,	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/सामान्य प्रबंधक (वित्त), उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद	सदस्य
3	दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता/सामान्य प्रबंधक (अभियंत्रण), उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद	सदस्य
4	दुग्धशाला विकास अधिकारी(नियोजन)	सदस्य
5	दुग्धशाला विकास अधिकारी/संयुक्त सचिव, उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद	सदस्य-सचिव

डॉ० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-791(1)/53-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री जी, उ०प्र०।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- दुग्ध आयुक्त, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि०, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
- 10- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश।
- 17- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 18- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बिन्दु गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।